रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935
No. 135] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56, धारा 64, धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 में, नियम 62 के उपनियम (1) के परंतुक में विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	मद	चेक फिटमेंट	मूल उपकरण सिफारिश के अनुरूप चेक मेक/टाइप/रेटिंग आदि	चेक दशा	चेक गतिविधि	परीक्षण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	स्पार्क प्लग/सप्रेसर कैप/हाई टेंशन केबल	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	-
(ii)	हैड लैंप बीम्स	हां	नहीं	हां	हां	चेक	(क) संलग्नक VII के अनुसार बीम फोकस ; (ख) हेडलाईट परीक्षण में प्रयोग आने वाले प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन के मामले में परीक्षण प्रक्रिया एआईएस-128 : 2014 के अनुसार अपेक्षा होगी ।
(iii)	अन्य प्रकाश	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनाधिकृत प्रकाश फिट है ।
(iv)	रिफ्लैक्टर्स	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित किया जाए कि रिफ्लैक्टर्स के रंग और रिफ्लैक्टिव टेप नियम 104 के अनुसार हैं ।
(v)	बल्ब	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित किया जाए कि हेडलाइट बल्ब का वॉट, विशेषकर हैलोजिन IS 1606-1993 में विनिर्दिष्ट से अधिक न हो और हैलोजिन बल्ब जो P45t कैप्स के साथ हो वह सब यानों में प्रयोग नहीं किया जाए ।
(vi)	पिछले दृश्य का शीशा	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	-
(vii)	सुरक्षा शीशा	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	अप्रैल, 1996 से और उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए लेमिनेटड वाइंड स्क्रीन ग्लास प्रयोग किया जाता है ।
(viii)	हार्न	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(ix)	साइलेंसर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	सुनिश्चित कीजिए कि कोई लीकेज नहीं है
(x)	डैश बोर्ड उपकरण	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(xi)	विंडशील्ड वाइपर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	-
(xii)	एक्झास्ट एमीशन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नियंत्रण प्रमाणपत्र के अंतर्गत प्रदूषण
(xiii)	ब्रेकिंग पद्धति	हां	नहीं	हां	हां	हां	(क) नियम 96(8) के अनुसार (ख) रोलर ब्रेक टेस्टर के प्रयोग में

							प्राधिकृत परीक्षण की दशा में और अपेक्षा AIS-128:2014 के अनुसार होगी ।
(xiv)	स्पीडोमीटर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नियम 117 के अनुसार
(xv)	स्टीयरिंग गीयर	हां	नहीं	हां	हां	फ्री प्ले चेक कीजिए	स्टीयरिंग ह्वील के साथ वाहनों के लिए नियम 98 के अनुसार फ्री प्ले चेक कीजिए ।

[फा. सं. आरटी-11036/96/2013-एमवीएल]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 99(अ) तारीख 19 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March , 2014

G.S.R. 188(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56, 64, sub-section (14) of section 88 and 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transports and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001 within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2**.** In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 62, in sub-rule (1), in the proviso, for the existing Table, the following table shall be substituted, namely,

"TABLE

Sl. No.	Item	Check Fitment	Check make/type/ rating, etc. as per original equipment recommenda-tions	Check condition	Check Functioning	Test	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	Spark Plug/Suppressor cap/High Tension cable	Yes	Yes	Yes	No	No	-

(ii)	Head Lamp Beams	Yes	No	Yes	Yes	Check	(a)Beam focus as per Annexure VII; (b) in case of authorised testing station using headlight tester, testing procedure and requirement shall be as per AIS-128:2014.
(iii)	Other Lights	Yes	No	Yes	Yes	No	Also ensure that unauthorised lights are not fitted.
(iv)	Reflectors	Yes	No	Yes	No	No	Ensure colour of reflectors and reflective tapes are as per rule 104
(v)	Bulbs	Yes	Yes	Yes	No	No	Ensure that head light bulbs wattage, especially halogen, is not higher than those indicated in IS 1606-1993 and also ensure that halogen bulbs with P45t caps are not used in all vehicles
(vi)	Rear View Mirror	Yes	No	Yes	No	No	-
(vii)	Safety Glass	Yes	Yes	Yes	No	No	Laminated windscreen glass is used for vehicles manufactured from April, 1996 onwards
(viii)	Horn	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(ix)	Silencer	Yes	No	Yes	Yes	No	Ensure no leakage
(x)	Dash Board equipment	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(xi)	Wind shield wiper	Yes	No	Yes	Yes	No	-
(xii)	Exhaust emission	No	No	No	No	Yes	Pollution Under Control Certificate .
(xiii)	Braking System	Yes	No	Yes	Yes	Yes	(a) As per rule 96 (8); (b) In case of authorised testing station using roller brake tester, testing procedure, and requirements shall be as per AIS-128:2014.
(xiv)	Speedometer	Yes	No	Yes	Yes	No	As per rule 117.
(xv)	Steering gear	Yes	No	Yes	Yes	Check free play	Check freeplay as per rule 98 for vehicles with steering wheel.”

[F. No. RT-11036/96/2013-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R.99 (E), dated 19th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.